

Joint Committee Inspection Report of

In the Matter of

Original Application No.87/2022 (CZ)
'Sarthak Tomar V/s Government of M.P. & Ors

w.r.to

Hon`ble National Green Tribunal Central Bench order
dated 17.11.2022

Date of Visit: 15th December 2022

Location : Municipal solid waste dump site Mandideep
District - Raisen

Inspection Report

Joint Inspection Report of Municipal solid waste dump site Mandideep, District Raisen (M.P.) in compliance of the direction issued by Hon'ble NGT in the Original Application No. 87/2022 (Sarthak Tomar Vs Government of M.P. & Ors)

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 17th November, 2022 in the OA no. 87/2022 "Sarthak Tomar Vs Government of M.P. & Ors" directed in para 1, 2 and 6 as under :

1. *Issue raised in this application are absence of sanitary landfill for municipal waste generated and collected from Mandideep is in violation of the Solid Waste Management Rules, 2016. Namely, the State Urban Development Department has not fulfilled its obligations under Rule 11(1); the local authority, i.e. Mandideep Municipal Council has not fulfilled its obligations under Rule 15 and Rule 11(d) of ensuring implementation of provision of the rules; the State Directorate of Town and Country Planning has not fulfilled its obligations under Rule 11(e), 11(f) of identification and allocation of suitable land to the local body and, Rules 11(g) of ensuring separate space for segregation, storage and processing of the waste; the District Collector of Raisen has not fulfilled its obligations under Rule 12 of review, identification and allotment and; the MP Pollution Control Board has not fulfilled its obligations under Rule 16. The absence of mechanisms for protection and improvement of environment and preventing hazards to people, workers, living creatures and plants near and around the dump-site and affected area resulting from hazardous waste (including methane and other chemical emission, leaching and polluting of ground and surface water and infestation) is in violation of Section 8 of The Environment (Protection) Act, 1986. The facts mentioned above are curtailing the of right of people and workers of Mandideep of enjoyment of pollution free atmosphere hence, in violation of Article 21 of the Constitution of India.*
2. *As contended by the Applicant the potential environmental and health risks posed by this non-treated waste and the dump-site in Mandideep are as under:*
 - (i) *Micro-plastics emissions.*
 - (ii) *Leaching of rainwater polluting the ground and surface water. Runoff contamination of surface and ground water of adjoining farms and River Kaliyasot and River Betwa downhill.*
 - (iii) *Gradual and steady Methane emissions.*
 - (iv) *Emission of NO₂, SO₂, CO, H₂S, NH₃ and Volatile Organic Compounds (VOCs) from unregulated burning of the dumped waste.*
 - (v) *Insect, animal vectors and pest infestation in and around the trenching area. Increasing the likelihood of fly-breeding and rodent infestation.*

मुख्य नगर पालिका
नगर पालिका

परिषद मंडीदीप म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीदीप

क्षेत्रीय अधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी (च.)
गोहरगज, जिला-रामसेन

(vi) In the absence of fences and fire safety mechanisms there is a risk of accidental fire and which could affect or/& be affected by the GAIL gasline underneath.

6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of :-

- i. District Collector, Raisen or his representative.
- ii. Chief Municipal Officer, Mandideep Municipal Council, Mandideep or his representative.
- iii. One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board.

In compliance of the above direction, the municipal solid waste dumping site, Mandideep district Raisen has been visited on dated 15/12/2022 by the Joint Committee constituted in the matter of the following officers :

1. Shri Pramod Gurjar, Sub Divisional Magistrate, Goharganj (Representative of Collector Raisen).
2. Shri Abhya Saraf, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Mandideep, District - Raisen (Representative of M.P. Pollution Control Board).
3. Shri Sudhir Upadhyay, Chief Municipal Officer, Municipal Council Mandideep, District- Raisen

The main issues raised in the petition by the Applicant are as under:-

- (i) Micro-plastics emissions.
- (ii) Leaching of rainwater polluting the ground and surface water. Runoff contamination of surface and ground water of adjoining farms and River Kaliyasot and River Betwa downhill.
- (iii) Gradual and steady Methane emissions.
- (iv) Emission of NO₂, SO₂, CO, H₂S, NH₃ and Volatile Organic Compounds (VOCs) from unregulated burning of the dumped waste.
- (v) Insect, animal vectors and pest infestation in and around the trenching area. Increasing the likelihood of fly-breeding and rodent infestation.
- (vi) In the absence of fences and fire safety mechanisms there is a risk of accidental fire and which could affect or/& be affected by the GAIL gasline underneath.

मुख्य नगर पालिका आयुक्त
नगर पालिका परिषद मंडीदीप

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीदीप

सहायक नगर पालिका अधिकारी (स.)
गोहरगंज, जिला-रायसेन

All the Joint Committee members assembled at dumping site of Municipal Council Mandideep, District Raisen which is located behind the M/s HEG Ltd Mandideep. During the joint committee visit, the geographical location, photographs and other relevant information related to the petition were collected and are incorporated in the report.

Observations:

1. GPS location of the dumping site of Municipal Council Mandideep, District Raisen has been recorded using a mobile-based GPS application. The google map of the site and photographs taken during the inspection are enclosed as **Annexure-01**. The geographical coordinates of dumping site Mandideep are 23.10252 N, 77.529602 E and marked on google map. The dumping site is located near the industrial area Mandideep.
2. As informed, the site was around 18-20 years old dumping site existing in an area of more than 10.0 acres land of M.P. forest department but in column no. 12 of khasra AKVN where the complete municipal solid wastes generating from the Mandideep city as well as industrial area is being dumped unscientifically manner. Approximate 1000 Tons of Municipal waste has been dumped at this site.
3. As inform by the Sanitary inspector of Municipal Council Mandideep that total generation of municipal solid waste from 26 wards is about 31 MT/day. Municipal council has adopted door to door collection mechanism. Whole quantity is being dumped at the existing dumped site with about 65% segregation at source and about 200 Kg/day plastic & other waste is being segregated at the site.
4. During the inspection it has been observed that Municipal Council Mandideep is not comply with the Solid Waste Management Rules, 2016 and dumping through Auto-Tipper. At the dumping site no barbed fencing around the site has been provided.
5. At the time of inspection burning of solid was not observed at the site by the committee members. However CMO of Municipal Council Mandideep has inform that during the summer season some anti-social elements/Rag pickers burned the solid waste which may causes the environmental issues in the area.
6. The Municipal Council Mandideep has provided material recovery facility and composting facility at the dumping site which was found operational during the inspection. This facilities is being operated by M/s Sarthak

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् मण्डीदीप

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीदीप

Samudayik Vikas avm Jankalyan Sansthan, Bhopal. The copy of agreement enclosed as a **Annexure-02**

7. Present site land is not in the possession of Municipal Council Mandideep for the scientifically disposal of municipal solid waste so that CMO Mandideep has requested to Collector Raisen for allotment of suitable site for the same. The copy of request letter is enclosed as **Annexure-03**.
8. There is no mechanism of fire safety arrangement at the MSW site but municipal council has fire fighting vehicles which are used at the time of fire dumping site. At the time of visit no burning of dumped waste was found. The ambient air quality of MSW site is being carried out by MPPCB and monitoring result are within limit as per prescribed norms. The monitoring report is enclosed as a **Annexure-04**.
9. During the inspection there is no observation regarding micro plastic emission. At present there is no any storm water drain & leachate collection system for the rainy season. Hence due to runoff in rainy season contamination of surface and ground water of nearby areas cannot be denied. The nearby ground water samples is being analyzed by MPPCB and monitoring report is enclosed as **Annexure-05**.
10. The odour nuisance is observed but not animal vectors and pest in infestation observed around the trenching area, as informed by the CMO Mandideep, dead body of animals including cows are being disposed in proper manner by using deep burial method and during the inspection no dead animals were found at the site.

Conclusion:-

The solid waste of the Mandideep city is continuously being dumped unscientifically in the open land and the arrangements for segregation, processing of waste and sanitary landfills are not adequate and effective available at the site for the disposal of solid waste as mentioned in the SWM Rule 2016.

Recommendations:


1. According to the Solid Waste Management Rules 2016, the responsibility of collection, segregation, storage, transportation, treatment and disposal of Municipal solid waste lies with the local body hence Municipal Council, Mandideep should comply with the Solid Waste Management Rules 2016.

मुख्य नगर पालिका जिला-रायसेन
नगर पालिका परिषद मंडीदीप क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मण्डीदीप

अनुविभागीय अधिकारी (व.)
गोहरगंज, जिला-रायसेन

2. District administration should instruct to MP Forest department to permit the Municipal Council Mandideep regarding immediately fencing of the present site to restrict the movement of animals, anti social elements at the dumping site and to develop necessary arrangement of MSW site as per the Solid Waste Management Rule, 2016 till the allotment & development of land.
3. Municipal council, Mandideep should take immediate initiation with District administration for the allotment of new landfill site & shall comply with all provisions of Solid Waste Management Rules 2016.
4. Municipal Council Mandideep take immediate action to prevent any unregulated burning of dumping waste at any point of time.
5. Municipal Council Mandideep shall do dense plantation all around the dumping site to prevent the odour nuisance.


(Sudhir Upadhyay) अधिकारी
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
Municipal Council Mandideep


(Abhay Saraf)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
MPPCB, Mandideep


(Pramod Gurjar)
Sub-Divisional
Magistrate, (Civil) Ganj
महानगरपालिका अधिकारी
गोहरगंज जिला-रायसेन
District- Raisen



Google Map of MSW Site, Mandideep which indicate of distance of River Kaliyasot and River Betwa form the existing site

Photograph of the visit on 15.12.2022



Visit of MSW site and Discussion with CMO Municipal Council Mandideep.




Bhopal, Madhya Pradesh, India

Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India

Lat 23.10246°

Long 77.529602°

15/12/22 04:11 PM GMT +05:30



Bhopal, Madhya Pradesh, India

Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India


Lat 23.102393°

Long 77.529566°


15/12/22 04:19 PM GMT +05:30





MRF Centre Municipal Council Mandideep.




Composting Pits at MSW Site



Bhopal, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.102567°
Long 77.529496°
15/12/22 04:10 PM GMT +05:30



Bhopal, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India
Lat 23.102399°
Long 77.529598°
15/12/22 04:20 PM GMT +05:30



Bhopal, Madhya Pradesh, India

Unnamed Road, Industrial Area, Bhopal, Madhya Pradesh 462046, India

Lat 23.10241°

Long 77.529692°

15/12/22 04:25 PM GMT +05:30

 GPS Map Camera

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AY 988206

नगरपालिका मंडीद्वीप

एवं

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक 20/5/21 दिन 20/5/21 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंडीद्वीप एवं सार्थक सामुदायिक विकास एवं जनकल्याण संस्था 597 वर्गकित बाजार बैरासिया रोड की प्रोजेक्ट कॉन्डिनेटर सुश्री राजदा खान के मध्य स्वच्छ भारत मिशन के 10वां दशानुसार ठास अवाशष्ट प्रवधन नयम 2016 क अतगत साथक संस्था द्वारा नगर पालिका मंडीद्वीप के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार होने पर उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए निम्नानुसार शर्तो को स्वीकार कर उक्त शर्तो के आधार पर ही उक्त कार्य निष्पादित किया जाएगा :-

1. अनुसूचित संस्था के निष्पादित शर्तो के अतिरिक्त शर्तो को पूर्ण करने के लिए और शर्तो को पूर्ण करने के लिए संलग्न दस्तावेज दर्शायी गई संबंधी प्रविष्टियों और उसकी स्वीकृति के प्रतिस्थापन होगा और उन शर्तो के विपरीत होने पर प्रवृत्तिहीन होगा।

2. उक्त पत्र में संलग्न दस्तावेज दर्शायी गई संबंधी प्रविष्टियों और उसकी स्वीकृति के प्रतिस्थापन होगा और उन शर्तो के विपरीत होने पर प्रवृत्तिहीन होगा।



—: आवश्यक शर्तें :-

01. कार्य पूर्ण कर्मठता से किया जावेगा और किये जाने वाले सभी कार्य रेगपिकर्स के माध्यम से मध्यप्रदेश ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 प्रबंधन एवं हतालन नियम तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के परिपालन से एवं स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत उपरोक्त केन्द्र का संचालन सार्थक संस्था के माध्यम से किया जायेगा। जिसकी लॉगबुक प्रतिदिन भरकर संस्था को प्रत्येक माह प्रतिवेदन स्वच्छ भारत मिशन शाखा में देना अनिवार्य होगा।
02. उपरोक्त परियोजना अनुसार संस्था द्वारा स्थानीय कचरा बीनने वाले परिवारों का स्व:सहायता समूह का गठन कर परियोजना से एकत्र होने वाले प्लास्टिक को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियुक्त पंजीकृत रिसायकलर को देना होगा जिसका प्रतिवेदन प्रतिमाह दिये गये प्रपत्र में स्वच्छ भारत मिशन शाखा को देना अनिवार्य होगा।
03. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर पालिका मंडीद्वीप के क्षेत्र में स्थापित की गयी पुनचक्रिय इकाई हेतु व्यवस्थाएं प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार करना अनिवार्य होगा।
04. नगर पालिका मंडीद्वीप द्वारा पुन:चक्रण इकाई में कर्मचारियों की नियुक्ति सार्थक संस्था द्वारा वित्तपोषित परियोजना से की जाएगी। जिसका भुगतान नगर पालिका को नहीं करना होगा। नगर पालिका मंडीद्वीप के द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन अथवा वित्तीय सहायता उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत संस्था को नहीं दी जाएगी।
05. सार्थक संस्था उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन संचालन एवं संधारण में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
06. सार्थक संस्था द्वारा उपरोक्त परियोजना के मूल्यांकन, प्रतिवेदन हेतु एम. आई.एस. विकसित किया जाएगा। जिसका प्रतिवेदन प्रतिमाह सार्थक संस्था द्वारा नगर पालिका मंडीद्वीप को दी जाएगी।
07. परियोजना अन्तर्गत सार्थक संस्था के सहयोग से एम.आर.एफ एवं स्वच्छता केन्द्र पर क्लाउस बेस जी.पी.एस. प्रणाली विकसित कर मॉनिटरिंग एवं डाटा संग्रह किया जाता है जो कि सार्थक संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा।
08. बल्क वेस्ट जनरेटर को चिन्हित कर उनके संस्थानों परिसरों एवं होटल, कॉलेज कम्पनी, फैक्टरी में प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट एवं अन्य पुन:चक्रिय - अपुन:चक्रिय अवशिष्ट के संग्रहण एवं निष्पादन के लिए परियोजना अन्तर्गत प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे। साथ ही चिन्हित किये गये समस्त बल्क वेस्ट जनरेटरों का लॉगबुक संधारण संस्था द्वारा समय समय पर किया जावेगा। जिसके लिये नगर पालिका द्वारा इन इकाईयों को पत्र जारी किया जाएगा।
09. नगर पालिका मंडीद्वीप सीमा क्षेत्र के समस्त कवाड़ी एवं स्क्रेप व्यापारियों का डाटा तैयार कर उनके द्वारा संग्रहित किये जा रहे अवशिष्ट का लॉगबुक संधारित कर आवश्यकतानुसार समय समय पर स्वच्छ भारत मिशन शाखा में संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। उपरोक्त सर्वेक्षण में नगर पालिका मंडीद्वीप सहयोग प्रदान करेगा।



10. नगर पालिका द्वारा परियोजना के सतत विकास हेतु सहयोग किया जाएगा। साथ ही संस्था द्वारा संधारित किया जाने वाला दस्तावेज एवं रिकार्ड सदैव नगर पालिका मंडीद्वीप को दिया जाएगा एवं अवलोकन के लिए होगा।
11. अमानक (नान रिसाइकल) स्तर के प्लास्टिक एवं नान रिसाइकल प्लास्टिक के निष्पादन के लिए व्यवस्था करना अनिवार्य होगा जिसमें सीमेंट संयंत्र एवं रोड निर्माण एजेंसियों से 1 माह में अनुबंध कर प्रेषित करना होगा। जिसमें नगर पालिका द्वारा क्षेत्रीय रोड निर्माण एजेंसियों को आदेशित करना होगा।
12. उपरोक्त कार्य करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संभलता एवं अधिकृत होना अनिवार्य होगा जिससे समस्त अवशेष को नीति अनुसार निष्पादन कर प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज स्वच्छ भारत मिशन शाखा में देना अनिवार्य होगा। एवं प्रत्येक माह एकत्र किए गए अवशेष की जानकारी दिए गए परिपत्रों में देना अनिवार्य होगा।
13. संस्था को स्वच्छता सर्वेक्षण में हर संभव सहयोग करना अनिवार्य होगा एवं समय-समय पर भ्रमण दस्तावेजी करण तथा स्वच्छता से संबंधित कार्यों में सहयोग करना अनिवार्य होगा जिसका कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी। और एम आर एफ से एकत्र किए गए अवशेष को रजिस्टर्ड द अधिकृत रिसाइकिलर को देना अनिवार्य होगा।
14. नगर पालिका प्लांट को वर्तमान स्थिति रनिंग कंडीशन में संस्था को सौंपेगा जिसमें जो रनिंग कंडीशन होगी उसे सार्थक बनाए रखेगा।
15. यह अनुबंध की वैधता कम से कम.....वर्ष के लिए होगी और 11 माह बाद कार्य प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जायेगा।
16. सार्थक संस्था 6 माह के बाद परियोजना के अंतर्गत प्रति माह नगर पालिका को 5000/- रायॅल्टी के रूप में भुगतान करेगा और आय बढ़ने के पश्चात समय-समय पर उक्त राशि को बढ़ाया जाएगा।
17. सार्थक आसपास के आवासीय / गांव के क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर जागरूकता का काम करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय लोग एसबीएम गतिविधियों के बारे में जागरूक हों और उन्हें ध्यान में रखा जाए।
18. सार्थक विशेषज्ञ संस्थानों और नागरिक समाजों के साथ सहयोग के माध्यम से एसबीएम के लिए सूचना, शिक्षा और संचार की एक निरंतर प्रणाली बनाएगा। सार्थक सीधे इस परियोजना में कचरा बीनने वालों के साथ काम करेंगे और संग्रह केंद्र और सुविधा संचालित करने के लिए रैगपिकर्स के समूह बनाकर एनएलएम के तहत उनके लिए एक स्थायी रोजगार उत्पन्न कर आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करेंगे।
19. नगरपालिका मंडीद्वीप क्षेत्र में स्वयं की भूमि न होने के कारण जो स्थान संस्था को सेग्रिकेशन के लिए दिया जा रहा है उसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है एवं इसके अतिरिक्त बिजली या गार्ड की व्यवस्था भी नहीं करायी जा सकती है।



20. संस्था को जो भी क्षेत्र प्रदान किया जाता है उसमें ही वर्तमान में संग्रीकेशन का कार्य किया जाएगा।

अतः यह अनुबंध पत्र आज दिनांक 20.5.21..... को समक्ष गवाहों के दोनों पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से निष्पादित किया गया।

नगरपालिका मंडीद्वीप की और से

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सील

मों. न.

गवाह

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मों. न.

सार्थक की और से

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सील


मों. न.

हस्ताक्षर

नाम


पदनाम

मों. न.



राजदा स्वाम

प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर



8103164
672



आमिर मिर्जा

फिल्ड कोऑर्डिनेटर

6260300138





भाग- 1
अभिस्वीकृति



प्रति,

आवेदन क्रमांक :0230030401004-APP-
15792590

फर्म का नाम नगर पालिका मंडीदीप
फर्म संस्थापक का नाम श्री सुधीर उपाध्याय

पता गुरारिया, गौहरगंज, रायसेन
मो.न. 9826835854

विषय:- भूमि आवंटन हेतु आवेदन

भू आवंटन हेतु आवेदन दर्ज होने की अभिस्वीकृति दी जाती है।

तारीख: 29/11/2022

कलेक्टर: कलेक्टर

स्थान: रायसेन

जिला: रायसेन

टीप:- उपर्युक्त न्यायालय में आवेदन पत्र एवं संगलग्नकों के साथ के भीतर उपस्थित हो |यह पावती इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट की गयी है अतः हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

कार्यालय नगरपालिका परिषद मण्डीदीप, जिला-रायसेन म०प्र०

क्र०/3382/न.पा.प/2022

मण्डीदीप, दिनांक 28-11-2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
रायसेन
जिला.रायसेन म०प्र०

विषय :- ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु भूमि आवंटन के संबंध में जानकारी ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन हैं कि ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु भूमि आवंटन करने हेतु आनलाईन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है साथ ही सम्बंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ आवेदन श्रीमान की ओर सादर प्रेषित हैं ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मंडीदीप
जिला-रायसेन म०प्र०

प्ररूप एक

(देखें कड़िका 12, 21, 28, 29, 36, 37, 45, 93, 100 और 106)

नजूल भूमि के हस्तांतरण/आवंटन के लिए आवेदन का प्ररूप

यह प्ररूप निम्न श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त किया जाएगा—

1. राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन
2. स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि के आवंटन के लिए आवेदन
3. नगरीय निकाय द्वारा नजूल भूमि की भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन
4. ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए नजूल भूमि आवंटन के लिए आवेदन
5. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन

प्रति,

कलेक्टर,

जिला रायसेन

विषय— जिला रायसेन तहसील/नगर के ग्राम/सेक्टर
 (हेक्टेयर/वर्गमीटर) नजूल भूमि के
 हस्तांतरण / स्थायी पट्टे पर आवंटन के लिए आवेदन पत्र

आवेदक की श्रेणी (सुसंगत बॉक्स को चिह्नित करें)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन का विभाग | <input type="checkbox"/> केन्द्र शासन का विभाग | <input type="checkbox"/> मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल |
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन के अधीनस्थ संगठन | <input type="checkbox"/> केन्द्र शासन के अधीनस्थ संगठन | <input type="checkbox"/> ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए |
| <input type="checkbox"/> नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | <input type="checkbox"/> निजी निवेशक | <input type="checkbox"/> युद्ध में मृत सैनिक का परिवार |
| <input type="checkbox"/> पंचायती राज संस्था | <input type="checkbox"/> पूर्व संस्था | |
| <input type="checkbox"/> सहकारी संस्था | | |

भाग - एक
 (सभी आवेदकों द्वारा भरा जाए)

| | | |
|---|--|--|
| 1 | 1.1 आवेदक का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है) | मुश्क नगर पालिका अधिकारी |
| | (संस्थागत आवेदन के मामले में) 1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का पदनाम | मुश्क नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मण्डलीदीप |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>(व्यक्तिगत आवेदन के मामले में) 1.3. आवेदक के पिता/ माता/ पति का नाम</p> | निरंत | | |
| <p>1.4 लिंग</p> <p>2 2.1 पत्राचार के लिए पता</p> <p>2.2 दूरभाष क्रमांक</p> <p>2.3 मोबाइल नम्बर</p> <p>2.4 ई-मेल पता</p> <p>2.5 संस्थागत आवेदन के मामले में, स्थानीय समन्वय हेतु अधिकृत कार्यालय का नाम, पता, कार्यालय के प्रमुख का नाम, पदनाम, दूरभाष क्रमांक, तथा ई-मेल पता दें</p> | <p>नगर पालिका परिषद् मण्डीडीप</p> <p>07480 - 231030</p> <p>नगर पालिका परिषद् मण्डीडीप</p> <p>सुधीर उपाध्याय</p> <p>मुख्य नं. पठ. अधिकारी</p> | | |
| <p>3 प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो)</p> <p>3.1 जमा की गई राशि</p> <p>3.2 चालान क्रमांक</p> <p>3.3 जमा करने की दिनांक</p> | <p>निरंत</p> <p>निरंत</p> <p>निरंत</p> <p>निरंत</p> | | |
| <p>4 आवेदित भूमि के विवरण</p> <p style="text-align: center;">जिला <u>शारदा</u> तहसील <u>डोहरगंज</u></p> | | | |
| <p>नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त</p> <p>पटवारी हल्का <u>कुमडी विहारी</u></p> <p>ग्राम <u>सुंसीरिया</u></p> | | <p>नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर</p> <p>सेक्टर</p> | |
| <p>क्र.</p> | <p>खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/ भूखण्ड क्रमांक</p> | <p>कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)</p> | <p>आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)</p> |
| <p>1</p> | <p>203</p> | <p>35.9970</p> | <p>15 रकड</p> |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | योग | | | |
| 5 | आवेदित भूमि की आवश्यकता किस लिए है? | दोस क्षपशिक प्रकलय हेतु | | |
| 6 | <p>(क) आवेदित क्षेत्रफल को आवश्यकता का औचित्य बताते हुए समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, संलग्न करें</p> <p>(ख) क्या आवेदित क्षेत्रफल की गणना अधिकतम अनुमत क्षेत्र तल अनुपात (F.A.R.) के आधार पर की गई है? यदि नहीं तो कारण दें</p> <p>(ग) आवेदित क्षेत्रफल का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना और उसके लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण दें तथा समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, तो संलग्न करें</p> | <p>शुभरा, नकल नकशा, शुभरा नकल संलग्न</p> <p>ड्रेनिंग ग्राड हेतु भूमि FSTP प्लाट सेधी गेशन कम्पेस्टिंग शक्ति</p> | | |

भाग - दो
(आवेदक की श्रेणी के अनुसार लागू खण्ड का प्रयोग करें)

खण्ड क

(यह खण्ड राज्य शासन या केन्द्र शासन का विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन, नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्था, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

| | |
|--|--|
| <p>7 आवेदित भूमि पर क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजना/परियोजना/कार्य आदि के संबंध में विवरण दें</p> <p>7.1 नाम</p> <p>7.2 प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के विवरण (आदेश की प्रतिलिपी संलग्न करें)</p> <p>7.3 योजना/परियोजना/कार्य के घटक जिनमें आवेदित भूमि का उपयोग प्रस्तावित है</p> <p>7.4 योजना/परियोजना/कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विवरण (समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हो, तो संलग्न करें)</p> <p>7.5 स्थानीय निकाय के मामले में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय निकाय के संकल्प की प्रतिलिपी संलग्न करें</p> <p>7.6 विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत घोषित नगर विकास स्कीम में स्थित नजूल भूमि के मामले में (स्कीम की प्रतिलिपी संलग्न करें)</p> <p>7.7 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें</p> | <p>इन्विंग आउट सेग्रिगेशन काई कम्प्लेक्सींग जय FSTP</p> <p>राहरी होम अपशिष्ट प्रबंधन</p> <p>प्रस्ताव की धार्याप्रति संलग्न</p> |
|--|--|

खण्ड ख

(यह खण्ड पूर्ण संस्था के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|----------------|---------|--|------------------|
| 7 | 7.1 संस्था किस विधान/नियम के अंतर्गत पंजीकृत है? | — | | | | | |
| | 7.2 पंजीयन करने वाले अधिकारी का पदनाम | मुख्य नो.पा. अधिकारी | | | | | |
| | 7.3 पंजीयन क्रमांक और दिनांक | नगर पालिका परिषद् मंडीरिप | | | | | |
| | 7.4 पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें | — | | | | | |
| | 7.5 संस्था के उद्देश्य (संस्था के मेमोरेण्डम आफ एसोशिएशन तथा उपनियमों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें) | — | | | | | |
| | 7.6 संस्था के पदाधिकारियों का विवरण | — | | | | | |
| | क्रमांक | नाम | पदनाम | पता तथा दूरभाष | व्यवसाय | वैतनिक अथवा अवैतनिक (वैतनिक हो तो वार्षिक वेतन दर्शाया जाय) | टिप्पणी |
| | 1 | सुधीर | मुख्य नो | 07480- | — | — | — |
| | 2 | उपाध्यक्ष | नगर अधिकारी | 231030 | — | — | — |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 7.7 | संस्था के पास उपलब्ध | वर्ष | कुल आय | कुल | संस्था के उद्देश्यों | संस्था के कार्पस |

| अधोसंरचना के विवरण दें | | व्यय | पर किया गया व्यय | निधि में उपलब्ध राशि |
|--|--|------|------------------|----------------------|
| 7.8 विगत तीन वर्षों में संस्था के कार्यकलापों, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण दें तथा प्रशासकीय प्रतिवेदनों को संलग्न करें | | | | |
| 7.9 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके वेतन पर किए जा रहे वार्षिक व्यय के विगत तीन वर्षों के विवरण दें | | | | |
| 7.10 विगत तीन वर्षों की कुल आय कुल व्यय तथा संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर किए गए व्यय तथा कार्पस निधि (Corpus Fund) के विवरण दें | | | | |
| (विगत तीन वर्षों की अंकित बैलेन्स शीट, आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और अदायगी लेखों की प्रतियां संलग्न करें - Audited Balance Sheet, Income-Expenditure Account and Receipts and Payment Account) | | | | |
| 7.11 संस्था को आयकर विभाग से जारी स्थायी लेखा क्रमांक, यदि कोई हो | | | | |
| (Permanent Account Number) | | | | |
| 7.12 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में दाखिल की गई आयकर विवरणियों (Income Tax Returns) की प्रतियां संलग्न करें | | | | |
| 7.13 क्या संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हाँ तो पंजीयन क्रमांक, दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें | | | | |
| 7.14 क्या संस्था आयकर अधिनियम, | | | | |


| | |
|---|---|
| <p>1961 की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हां तो पंजीयन क्रमांक, दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें</p> <p>7.15 संस्था को प्रदेश में यदि पूर्व में कोई शासकीय भूमियां आवंटित की गई हों तो उनके पूर्ण विवरण दें, वर्तमान में उन भूमियों के किये जा रहे उपयोग की जानकारी दें तथा अब की जा रही भूमि की मांग का औचित्य बताएं</p> <p>7.16 क्या संस्था की गतिविधियां अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म में आधार पर भेदभाव किया जाता है?</p> <p>7.17 क्या संस्था की आय तथा आस्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित हैं?</p> <p>7.18 क्या संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरित किया जाता है या किए जाने योग्य है?</p> <p>7.19 क्या संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमापन पर उसकी निवल आस्तियां (Net assets) उसकी देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों व दानदाताओं को वापस होती है?</p> <p>7.20 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>नहीं</p> <p>हां</p> <p>नहीं</p> <p>नहीं</p> <p>—</p> |
| इस खण्ड में दी गई जानकारी का | मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि इस भाग में दी |

| | |
|---------|---|
| सत्यापन | <p>गई जानकारी सत्य है। मुझे ज्ञात है कि यदि यह जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो राज्य शासन मेरे तथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा।</p> <p>आवेदक के हस्ताक्षर.....</p> <p>नाम..... सुधीर उपाध्याय</p> <p>पदनाम..... मुख्य मंत्रि पाठ अधिकारी मंत्रि पाठ परिषद् मण्डलीय</p> |
|---------|---|

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.)

सन् 2020-21

नोट - शीट

| दिनांक | विवरण | विशेष |
|--------|--|-------|
| | <p>पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 24-02-2021 के सम्मिलन के कार्यवृत्त की</p> <p style="text-align: center;">खण्ड सत्यप्रतिलिपि</p> <p>प्रस्ताव क्र. - 02</p> <p>ठोस अवशिष्ट प्रबंधक हेतु भूमि आवंटन के संबंध में विचार एवं निर्णय।</p> <p>प्रकरण प्रस्तुत, नस्ती का अवलोकन किया गया। निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधक हेतु भूमि उपलब्ध ना होने से तहसील कार्यालय गोहरगंज से ट्रेचिंग ग्राउन्ड हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिसके तारतम्य में तहसील कार्यालय द्वारा रिक्त नजूल भूमि ग्राम गुराड़िया मद म.प्र. शासन चरोखर प.ह. नं. 2/4 खसरा नं. 203 कुल रकवा 35.9970 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधक हेतु शासन/कलेक्टर महोदय जिला रायसेन से नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p> <p>संकल्प सर्वसम्मति से पारित।</p> <p style="text-align: center;"> मु.न.पा. अधिकारी न.पा.प. मण्डीदीप</p> <p style="text-align: center;">अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मण्डीदीप</p> | |




आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदीवस्तु
मध्य प्रदेश

वर्ष: 2020-21

श्री.एल.आर. नं. : 1130040100004008003448

दिनांक: 24-02-2021 12:16:05



जिला: रायसेन

खसरा नं.: 203

तहसील: गौरराज

री.नि.नं.: गण्डौरीप

खसरा क्षेत्र: 35.9970(हेक्टे.)

पंचायती संस्था: कुमठि विठोरी

शु.राजस्व: 0.00

गाँव: गुरारिया

दस्तावेज: (आवकत)

Digitally signed by DS COMMISSIONER MAP
RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA
PRADESH
DN: cn=12.24.123132 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Map
Copy
CLR No. : 130040100004008003448

मापक 1:4000

100 150 200m

(हस्ताक्षर)

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at <https://mhpudatku.gov.in>, and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.



भूमि का व्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का व्यौरा रूपये पैसों में

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म भी -II
खसरा

| ग्राम: गुररिया | हल्का: कुमडी विठोरी | रा.नि.म.: मण्डीदीप | तहसील: गौहरराज | जिला: रायसेन | वर्ष: 2020-2021 | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--|--------------------|---|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----|---|
| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि सातों में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या यदि का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और देय राजस्व का वर्णन | किसी भूमिसायी या पट्टेदार का या किसी मौजूसी कारखाने के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लागन या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि | पट्टी का क्षेत्रफल | खाते के बाहर के क्षेत्रों में बंटे गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | केफियत | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 203 | 35.9970 चरणार्ह 35.997 | (सासकीक) | | क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई | क्षेत्रफल | दुकसरी क्षेत्रफल | चाहूँ वर्ष की पट्टी | 2 से 5 वर्ष तक की पट्टी | न्यूनतम अधिकतम वर्ष से अधिक | | म.प. शासन (सो.प. शासन) द्वारा हेतु सुरक्षित |

नोट:-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइड कॉपी के लिए आई. टी. सेक्टर से, लोक सेवा केंद्र से भूधरा धनसाइन अविद्वान करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Approved for Digitization

Digitized by eGangotri



भाग- 1
अभिस्वीकृति



प्रति,

आवेदन क्रमांक :0230030402025-APP-
12944597

फर्म का नाम नगर पालिका मंडीदीप
फर्म संस्थापक का नाम सुधीर उपाध्याय

पता ओबेदुल्लागंज, गौहरगंज, रायसेन
मो.न. 9826835854

विषय:- भूमि आवंटन हेतु आवेदन

भू आवंटन हेतु आवेदन दर्ज होने की अभिस्वीकृति दी जाती है।

तारीख: 23/02/2022

कलेक्टर: कलेक्टर

स्थान: रायसेन

जिला: रायसेन

टीप:- उपर्युक्त न्यायालय में आवेदन पत्र एवं संगलग्नकों के साथ के भीतर उपस्थित हो |यह पावती इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट की गयी है अतः हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् मण्डीदीप, जिला-रायसेन म0प्र0

क्र0 4269/न.पा.प/2022

मण्डीदीप, दिनांक 04-02-2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
रायसेन
जिला-रायसेन म0प्र0

विषय :- ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु भूमि आवंटन के संबंध में जानकारी।

महोदय,

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है कि ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु भूमि आवंटन करने हेतु आनलाईन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है साथ ही सम्बंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ आवेदन श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।


04.02.22
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिकापरिषद् मंडीदीप
जिला-रायसेन (म0प्र0)

प्ररूप एक

(देखें कंडिका 12, 21, 28, 29, 36, 37, 45, 93,100 और 108)

नजूल भूमि के हस्तांतरण/आवंटन के लिए आवेदन का प्ररूप

यह प्ररूप निम्न श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त किया जाएगा-

1. राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन
2. स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि के आवंटन के लिए आवेदन
3. नगरीय निकाय द्वारा नजूल भूमि की भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन
4. ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए नजूल भूमि आवंटन के लिए आवेदन
5. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन

प्रति,

कलेक्टर,

जिला.....

विषय:- जिला राजसैन तहसील/नगर श्रीवेङ्कटापुरा के ग्राम/सेक्टर उमरिया में 31.7570 (हेक्टेयर/वर्गमीटर) नजूल भूमि के हस्तांतरण / स्थायी पट्टे पर आवंटन के लिए आवेदन पत्र

आवेदक की श्रेणी (सुसंगत बॉक्स को चिन्हित करें)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन का विभाग | <input type="checkbox"/> केन्द्र शासन का विभाग | <input type="checkbox"/> मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल |
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन के अधीनस्थ संगठन | <input type="checkbox"/> केन्द्र शासन के अधीनस्थ संगठन | <input type="checkbox"/> ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए |
| <input type="checkbox"/> नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | <input type="checkbox"/> निजी निवेशक | <input type="checkbox"/> युद्ध में मृत सैनिक का परिवार |
| <input type="checkbox"/> पंचायती राज संस्था | <input type="checkbox"/> पूर्त संस्था | |
| <input type="checkbox"/> सहकारी संस्था | | |

भाग - एक

(सभी आवेदकों द्वारा भरा जाए)

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | 1.1 आवेदक का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है) | मुख्य नगर पालिका अधिकारी |
| | (संस्थागत आवेदन के मामले में) | मुख्य नगर पालिका अधिकारी |
| | 1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का पदनाम | नगर पालिका परिषद मंडीडीप |

| | | |
|--|--|---|
| <p>(व्यक्तिगत आवेदन के मामले में) 1.3. आवेदक के पिता/ माता/ पति का नाम</p> | निरंत | |
| <p>1.4 लिंग 2.1 पत्राचार के लिए पता 2.2 दूरभाष क्रमांक 2.3 मोबाइल नम्बर 2.4 ई-मेल पता</p> | <p>नं० पा० परिषद् मण्डीडीप 07480 231030</p> | |
| <p>2.5 संस्थागत आवेदन के मामले में, स्थानीय समन्वय हेतु अधिकृत कार्यालय का नाम, पता, कार्यालय के प्रमुख का नाम, पदनाम, दूरभाष क्रमांक, तथा ई-मेल पता दें</p> | <p>नं० पा० परिषद् मण्डीडीप जिला-रायसेव सुल्कीर उपाहारा मुख्य नं० पा० अधिकारी नं० पा० परिषद् मण्डीडीप</p> | |
| <p>3 प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो) 3.1 जमा की गई राशि 3.2 चालान क्रमांक</p> | <p>निरंत निरंत निरंत</p> | |
| <p>3.3 जमा करने की दिनांक</p> | | |
| <p>4 आवेदित भूमि के विवरण</p> | <p>जिला <u>रायसेव</u> तहसील <u>श्रीहराज</u></p> | |
| <p>नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त पटवारी हल्का <u>श्रीहराज</u> रायसेव ग्राम</p> | <p>नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर सेक्टर</p> | |
| <p>क्र. खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/ भूखण्ड क्रमांक</p> | <p>कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)</p> | <p>आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)</p> |
| <p>1 204 (S)</p> | <p>21.7570 हेक्टेयर</p> | <p>15 हेक्टेयर</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | योग | | |
| 5 | आवेदित भूमि की आवश्यकता किस लिए है? | होस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु | |
| 6 | (क) आवेदित क्षेत्रफल की आवश्यकता का औचित्य बताते हुए समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, संलग्न करें (ख) क्या आवेदित क्षेत्रफल की गणना अधिकतम अनुमत क्षेत्र तल अनुपात (F.A.R.) के आधार पर की गई है? यदि नहीं तो कारण दें (ग) आवेदित क्षेत्रफल का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना और उसके लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण दें तथा समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, तो संलग्न करें | श्वसरा, मठल, भस्मा, शकल संलग्न फ्रेमिंग आउट हेतु भूमि (FSTP) एलाट से रीजिस्ट्रार ऑफिसिंग आदी | |

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर 2020

भाग - दो

(आवेदक की श्रेणी के अनुसार लागू खण्ड का प्रयोग करें)

खण्ड क

(यह खण्ड राज्य शासन या केन्द्र शासन का विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन, नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्था, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7

आवेदित भूमि पर कियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजना/परियोजना/कार्य आदि के संबंध में विवरण दें

7.1 नाम

7.2 प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के विवरण (आदेश की प्रतिलिपी संलग्न करें)

7.3 योजना/परियोजना/कार्य के घटक जिनमें आवेदित भूमि का उपयोग प्रस्तावित है

7.4 योजना/परियोजना/कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विवरण (समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, तो संलग्न करें)

7.5 स्थानीय निकाय के मामले में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय निकाय के संकल्प की प्रतिलिपी संलग्न करें

7.6 विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत घोषित नगर विकास स्कीम में स्थित नजूल भूमि के मामले में (स्कीम की प्रतिलिपी संलग्न करें)

7.7 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें

इन्फिन्सिआस सेव्रीजेशन आई डब्ल्यू
रिजिंग डाय (FSTP) ब्लॉक
वाहरी टोस श्वाप्लिड प्रबंधन

प्रस्ताव की छया प्रति संलग्न

खण्ड ख

(यह खण्ड पूर्ण संस्था के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

- 7 7.1 संस्था किस विधान/नियम के अंतर्गत पंजीकृत है?
- 7.2 पंजीयन करने वाले अधिकारी का पदनाम
- 7.3 पंजीयन क्रमांक और दिनांक
- 7.4 पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें
- 7.5 संस्था के उद्देश्य (संस्था के मेमोरेण्डम आफ एसोशिएशन तथा उपनियमों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें)
- 7.6 संस्था के पदाधिकारियों का विवरण

मुख्य मंत्र पाठ अधिकारी
नगर पालिका परिषद मण्डलीप

| क्रमांक | नाम | पदनाम | पता तथा दूरभाष | व्यवसाय | वैतनिक अथवा अवैतनिक (वैतनिक हो तो वार्षिक वेतन दर्शाया जाय) | टिप्पणी |
|--------------------------|-----------|-------------|----------------|---------|---|------------------|
| 1 | शुधीर | मुख्य मंत्र | 07480231080 | | | |
| 2 | उपाध्यक्ष | पाठ अधिकारी | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 7.7 संस्था के पास उपलब्ध | | वर्ष | कुल आय | कुल | संस्था के उद्देश्यों | संस्था के कार्पस |

| अधोसंरचना के विवरण दें | व्यय | पर किया गया व्यय | निधि में उपलब्ध राशि |
|--|------|------------------|----------------------|
| 7.8 विगत तीन वर्षों में संस्था के कार्यकलापों, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण दें तथा प्रशासकीय प्रतिवेदनों को संलग्न करें | | | |
| 7.9 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके वेतन पर किए जा रहे वार्षिक व्यय के विगत तीन वर्षों के विवरण दें | | | |
| 7.10 विगत तीन वर्षों की कुल आय कुल व्यय तथा संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर किए गए व्यय तथा कार्पस निधि (Corpus Fund) के विवरण दें | | | |
| (विगत तीन वर्षों की अंकेक्षित बैलेन्स शीट, आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और अदायगी लेखों की प्रतियां संलग्न करें - Audited Balance Sheet, Income-Expenditure Account and Receipts and Payment Account) | | | |
| 7.11 संस्था को आयकर विभाग से जारी स्थायी लेखा क्रमांक, यदि कोई हो | | | |
| (Permanent Account Number) | | | |
| 7.12 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में दाखिल की गई आयकर विवरणियों (Income Tax Returns) की प्रतियां संलग्न करें | | | |
| 7.13 क्या संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हाँ तो पंजीयन क्रमांक, दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें | | | |
| 7.14 क्या संस्था आयकर अधिनियम, | | | |
| योग | | | |

| | |
|--|--|
| <p>1961 की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हां तो पंजीयन कर्मांक, दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें</p> | |
| <p>7.15 संस्था को प्रदेश में यदि पूर्व में कोई शासकीय भूमियां आवंटित की गई हों तो उनके पूर्ण विवरण दें, वर्तमान में उन भूमियों के किये जा रहे उपयोग की जानकारी दें तथा अब की जा रही भूमि की मांग का औचित्य बताएं</p> | |
| <p>7.16 क्या संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म में आधार पर भेदभाव किया जाता है?</p> | नहीं |
| <p>7.17 क्या संस्था की आय तथा आस्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित हैं?</p> | हां |
| <p>7.18 क्या संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरित किया जाता है या किए जाने योग्य है?</p> | नहीं |
| <p>7.19 क्या संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमापन पर उसकी निबल आस्तियां (Net assets) उसकी देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों व दानदाताओं को वापस होती है?</p> | नहीं |
| <p>7.20 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें</p> | |
| <p>इस खण्ड में दी गई जानकारी का</p> | <p>में शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि इस भाग में दी</p> |

पर्याप्त

गर्भ जानकारी प्राप्त है। मुझे सात है कि यदि यह
जानकारी असत्य पुष्टिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो
राज्य शासन मेरे तथा संस्था के विरुद्ध नैदानिक
कार्यवाही कर सकेगा और भूमि का अर्जन
निरस्त कर सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम सुधीर उपाध्याय

पता मुम्बई नं १० अधिकारी

नं १० परिसर मण्डीडीप
जिला - रामधन

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.)

सन 2022-23

नोट - शीट

| नॉक | विवरण | संकल्प | विशेष |
|----------|--|--|-------|
| 11/01/22 | प्रस्ताव क्र. - 37 ठोस अवशिष्ट प्रबंधक हेतु भूमि आवंटनके संबंध में विचार एवं निर्णय किया गया। | प्रकरण प्रस्तुत नस्ती का आवलोकन निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि उपलब्ध ना होने से तहसील कार्यालय गोहरा से ट्रेडिंग ग्राउंड हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिसके तारतम्य मे तहसील कार्यालय द्वारा रिक्त नजूल भूमि ग्राम उमरिया पटवारी हल्का औबेदुल्लागंज मद म.प्र शासन चरोखर प0ह0..... खसरा कं 204(s) कुल रकवा 21.7570 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधक हेतु शासन/कलेक्टर महोदय जिला रायसेन से नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है। | |


सी.एम.ओ


प्रशासक




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 11013512430

वर्ष: 2021-22

दिनांक: 24-01-2022 17:10:08



| | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------|
| दलोक सं. | ग्राम | हल्का | तहसील | जिला |
| | उमरिया | ओवेदुल्लागंज | गोहरगंज | रायसेन |
| सर्वेक्षण सं. | क्षेत्रफल | भू-राजस्व | मापंक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4) | |
| 204(S) | 21.7570(हेक्ट.) | 0.00 | 0 20 40 60 80 120 160 200m | |

भूस्वामी: (वासकीय)



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2022.01.24 16:55:43 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy
CLR No. : 11013512430

(हस्ताक्षर)

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at <https://mpbhulekh.gov.in>, and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंडीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.)

सन् 2020-21

नोट - शीट

| दिनांक | विवरण | विशेष |
|--------|--|--|
| | <p>पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 24-02-2021 के सम्मिलन के कार्यवृत्त की</p> <p><u>खण्ड सत्यप्रतिलिपि</u></p> <p>प्रस्ताव क्र. - 02</p> <p>संकल्प क्र. - 02</p> <p>ठोस अवशिष्ट प्रबंधक हेतु भूमि आवंटन के संबंध में विचार एवं निर्णय।</p> <p>प्रकरण प्रस्तुत, नस्ती का अवलोकन किया गया। निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधक हेतु भूमि उपलब्ध ना होने से तहसील कार्यालय गोहरगंज से ट्रेचिंग ग्राउन्ड हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिसके तारतम्य में तहसील कार्यालय द्वारा रिक्त नजूल भूमि ग्राम गुराड़िया मद म.प्र. शासन चरोखर प.ह. नं. 2/4 खसरा नं. 203 कुल रकवा 35.9970 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधक हेतु शासन/कलेक्टर महोदय जिला रायसेन से नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p> <p>संकल्प सर्वसम्मति से पारित।</p> | |
| | <p>मु.न.पा. अधिकारी न.पा.प. मण्डीदीप</p> | <p>अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मण्डीदीप</p> |

कार्यालय नगरपालिका परिषद मंडीदीप जिला रायसेन म०प्र०

कं/न.पा./2020/3995


मंडीदीप दिनांक:- 1/1/2021
24/2/2021

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
रायसेन
जिला. रायसेन

विषय - ट्रेडिंग ग्राउंड हेतु भूमि आवंटन करने कावत।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ट्रेडिंग ग्राउंड हेतु भूमि आवंटन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन मय दस्तावेज सहित तैयार कर श्री मान की और सादर प्रेषित है।


24.02.21

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मंडीदीप
जिला-रायसेन म०प्र०

cc

प्रारूप एक

(देखें कंडिका 12,21, 28, 29, 36, 45, 93, 100 और 106)

नजूल भूमि के हस्तांतरण/आवंटन के लिये अर्वेदन का प्रारूप यह प्रारूप निम्न श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त किया जाएगा—

1. राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिये आवेदन
2. स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि के आवंटन के लिये आवेदन
3. नगरीय निकाय द्वारा नजूल भूमि की भूस्वामी अधिकार में आवंटन के लिये आवेदन
4. ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिये नजूल भूमि आवंटन के लिये आवेदन
5. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूस्वामी अधिकार में आवंटन के लिये आवेदन

प्रति,

कलेक्टर,
जिला रायसेन

विषय:— जिला रायसेन तहसील /नगर मंडीदीप के ग्राम/सेक्टर गुराडिया में 35.9970 (हेक्टर/वर्गमीटर) नजूल भूमि के हस्तांतरण/स्थायी पट्टे पर आवंटन के लिये आवेदन पत्र

आवेदक की श्रेणी (सुरांगत बॉक्स को चिन्हित करें)

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन का विभाग | <input type="checkbox"/> केंद्र शासन का विभाग | <input type="checkbox"/> मान्यता प्राप्त राष्ट्र |
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन के अधीनस्थ संगठन | <input type="checkbox"/> केंद्र शासन के अधिनस्थ संगठन | <input type="checkbox"/> राजनैतिक दल |
| <input type="checkbox"/> नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | <input type="checkbox"/> निजी निवेशक | <input type="checkbox"/> ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिये |
| <input type="checkbox"/> पंचायती राज संस्था | <input type="checkbox"/> पूर्ण संस्था | <input type="checkbox"/> युद्ध में मृतक सैनिक का परिवार |
| <input type="checkbox"/> सहकारी संस्था | | |

भाग - एक

(सभी आवेदकों द्वारा भरा जाए)

| | | |
|---|---|--|
| 1 | 1.1 आवेदन का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है) (संस्थागत आवेदन के मामले में) 1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का पदनाम | मुख्य नगरपालिका अधिकारी मुख्य न०पा० अधिकारी न.पा. परिषद् मंडीदीप |
|---|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>(व्यक्तिगत आवेदन के मामले) 1.3 आवेदक के पिता/ माता/पति का नाम</p> <p>1.4 लिंग</p> | <p>निरंक</p> |
| <p>2 2.1 पत्राचार के लिए पता</p> <p>2.2 दूरभाष क्रमांक</p> <p>2.3 मोबाइल नम्बर</p> <p>2.4 ई-मेल पता</p> <p>2.5 संस्थागत आवेदन के मामले में स्थानीय समन्वय हेतु अधिकृत कार्यालय का नाम, पता, कार्यालय के प्रमुख का नाम, पदनाम, दूरभाष क्रमांक तथा ई-मेल पता। दें</p> | <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>नगर पालिका परिषद मंडीदीप, जिला-रायसेन श्री सुधीर उपाध्याय मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मंडीदीप</p> |
| <p>3 प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो)</p> <p>3.1 जमा की गई राशि</p> <p>3.2 चालान क्रमांक</p> <p>3.3 जमा करने की दिनांक</p> | <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> |

जिला रायसेन तहसील गौहरगंज

| | |
|--|---|
| <p>नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त - मण्डीदीप पंचायती हल्का - 2/4 ग्राम - गुराड़िया</p> | <p>नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर सेक्टर</p> |
|--|---|

| क्र. | खसरा क्रमांक / शीट क्रमांक / ब्लॉक क्रमांक / भूखण्ड क्रमांक | कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में) | आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में) |
|------|---|--|---|
| 1 | 203 | 35.9970 हेक्टेयर | |

भाग - दो

(आवेदक की श्रेणी के अनुसार लागू खण्ड का प्रयोग करें)

खण्ड क

(यह खण्ड राज्य शासन या केन्द्र शासन का विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन नगरीयनिकाय या पंचायत राज संस्था, विकास प्राधिकरण / विशेष प्राधिकरण के लिए भूमि आवंटन के मामले के लिए प्रयुक्त होगा)

| | | | | | |
|---|--|--|------|------------------|----------------------|
| 7 | आवेदक भूमि पर कियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजना/परियोजना/कार्य आदि के संबंध में विवरण दे | विंग ग्राउंड सेग्रीगेशन कार्ड कम्पोस्टिंग कार्य FSTPप्लांट | | | |
| | 7.1 नाम | शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | | | |
| | 7.2 प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के विवरण(आदेश की प्रतिलिपी संलग्न करें) | - | | | |
| | 7.3 योजना/परियोजना/कार्य के घटक जिनमें आवेदित भूमि का उपयोग प्रस्तावित है। | - | | | |
| | 7.4 योजना/परियोजना/कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विवरण(समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हो तो संलग्न करें) | - | | | |
| | 7.5 स्थानीय निकाय के मामले में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय निकाय के संकल्प की प्रतिलिपी संलग्न करें | प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न | | | |
| | 7.6 विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के म.प. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (कमाक 23 सन्1973) की धारा 50 के अंतर्गत घोषित नगर विकास स्कीम में स्थित नजूल भूमि के मामले में (स्कीम की प्रतिलिपी संलग्न करें) | - | | | |
| | 7.7 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहे अधोसंरचना | - | | | |
| | 7.8 विगत तीन वर्षों में संस्था के कार्यकालापी, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण दे तथा प्रशासकीय प्रतिवेदनो को संलग्न करें | | व्यय | पर किया गया व्यय | निधि में उपलब्ध राशि |
| | 7.9 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके वेतन पर किए जा रहे वार्षिक व्यय के विगत तीन वर्षों के विवरण दे | | | | |
| | 7.10 विगत तीन वर्षों की कुल आय कुल व्यय तथा संस्था के द्वारा अपने उद्देशय पर किए गए व्यय तथा कार्पस निधि (Corpus Fund) के वितरण दे | | | | |
| | (विगत तीन वर्षों की अंकक्षित बैलेन्स शीट, आय व्यय लेखा तथा प्राप्ति और अदायगी लेखों की प्रतियां संलग्न करें—Audited Balance sheet- Income—Expenditure Account and Receipts and payment Account) | | | | |
| | | योग | | | |

खण्ड ख

(यह खण्ड पूर्व संस्था के लिए भी आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा।)

| | |
|---|---|
| 7.1 संस्था किस विधान /नियम के अंतर्गत पंजीकृत है? | - |
| 7.2 पंजीयन करने वाले अधिकारी का पदनाम | मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद मंडीदीप |
| 7.3 पंजीयन क्रमांक और दिनांक | - |
| 7.4 पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें | - |
| 7.5 संस्था के उद्देश्य | - |
| (संस्था के मेमोरेन्डम आफ एसोशिएशन तथा उपनियमों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें। | - |
| 7.6 संस्था के पदाधिकारियों का विवरण | - |

| क्रमांक | नाम | पदनाम | पता तथा संपर्क | व्यवसाय | वैतनिक अथवा अधैतनिक (वैतनिक हो तो वार्षिक वेतन दर्शाया जाय) | टिप्पणी |
|---------|----------------|--------------------------|----------------|---------|---|---------|
| | सुधीर उपाध्याय | मुख्य नगर पालिका अधिकारी | 07480-231030 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

7.7 संस्था के पास उपलब्ध

वर्ष

कुल आय


कुल

संस्था के उद्देश्यों

संस्था के कार्पस

| अधोसंरचना के विवरण दें | | व्यय | पर किया गया व्यय | निधि में उपलब्ध राशि |
|---|--|------|------------------|----------------------|
| 7.8 विगत तीन वर्षों में संस्था के कार्यकलापों, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण दें तथा प्रशासकीय प्रतिवेदनों को संलग्न करें | | | | |
| 7.9 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके वेतन पर किए जा रहे वार्षिक व्यय के विगत तीन वर्षों के विवरण दें | | | | |
| 7.10 विगत तीन वर्षों की कुल आय कुल व्यय तथा संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर किए गए व्यय तथा कार्पस निधि (Corpus Fund) के विवरण दें | | | | |
| (विगत तीन वर्षों की अंकित बैलेंस शीट, आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और अदायगी लेखों की प्रतियां संलग्न करें — Audited Balance Sheet, Income Expenditure Account and Receipts and Payment Account) | | | | |
| 7.11 संस्था को आयकर विभाग से जारी स्थायी लेखा क्रमांक, यदि कोई हो | | | | |
| (Permanent Account Number) 7.12 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में दाखिल की गई आयकर विवरणियों (Income Tax Returns) की प्रतियां संलग्न करें | | | | |
| 7.13 क्या संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हाँ तो पंजीयन क्रमांक, दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें | | | | |
| 7.14 क्या संस्था आयकर अधिनियम, | | | | |
| योग | | | | |

| | |
|---|----------------------|
| <p>1961 की धारा 80G के अन्तर्गत पंजीकृत यदि हा तो पंजीयन क्रमांक, दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें</p> | |
| <p>7.15 संस्था को प्रदेश में यदि पूर्व में कोई शासकीय भूमियां आवंटिक की गई हों तो उनके पूर्ण विवरण दें, वर्तमान में उन</p> | |
| <p>भूमियों के किये जा रहे उपयोग की जानकारी दें तथा अब की जा रही भूमि की मांग का आचित्य बताएं</p> | |
| <p>7.16 क्या संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म में आधार पर भेदभाव किया जाता है?</p> | <p>नहीं</p> |
| <p>7.17 क्या संस्था की आय तथा आस्तियां किये जाते है जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित है?</p> | <p>हाँ</p> |
| <p>7.18 क्या संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरण किया जाता है या किए जाने योग्य है?</p> | <p>नहीं</p> |
| <p>7.19 क्या संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमपन पर उसकी निबल देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों संस्थापकों व दानदाताओं को वापस होती है?</p> | <p>नहीं</p> |
| <p>7.20 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें।</p> | <p>-</p> |
| <p>इस खण्ड में दी गई जानकारी का मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ के</p> | <p>इस भाग में दी</p> |


जनकारा असत्य त्रुटिपूर्ण या भ्रमक पाई गईतो
राज्य शासन मेरे तथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक
कार्रवाही कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त
कर सकेगा
आवेदक के हस्ताक्षर - 
नाम- सुधीर उपाध्याय
पदनाम- मुख्य न.पा. अधिकारी मण्डीदीप जिला-
रायसेन

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फॉर्म पी - II
खसरा



सो. एल. आर. नं. : 11300401000040080003455

| क्रमक | ग्राम-पुरांरवा | हल्का : कुमडी विठोरी | | | | रा. नि. नं. : गण्डीदीप | तहसील : गौहरगंज | जिला : रायसेन | वर्ष: 2020-2021 | खतो के बाबू यादव के बाबू में बाँडे गई फसल का नाम तथा ईं प्रकल | कैफियत | | |
|-------|--|--|--|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|--------|----|--|
| | | कबाँडार का नाम, उसके पिता का या प्रति का नाम तथा जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और देा गजबन्द का लगान | किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौलसी कारखाने के उभ पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का ईं प्रकल | खतो की भूमि | खतो का ईं प्रकल | | | | | | | | |
| 1 | ईं प्रकल (और यदि भूमि खतो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 203 | 35.997 0 धरगाह 3 5.997 | (शासकीय) | | | | | | | | | | | म.प्र. शासन (म० प्र० शासन) तालाब हेतु सुरक्षित |




आयुक्त भू-जमिंदार एवं नदीबन्त
मध्य प्रदेश

सी.एल.आर नं. : 1130040100004008003448

वर्ष: 2020-21

दिनांक: 24-02-2021 12:16:05



जिला: रायसेन

खसरा नं.: 203

तहसील: गौहरांज

रा.नि.नं. मण्डीदीप

खसरा नं.: 35.9970 (खस.)

पटवारी हस्ता: कुमखे मिठेरी

भू-राजस्व: 0.00

गोंध: गुरारिया

मापंक 1:4000

100 150 200m

Digitized by DS COMMISSIONER 50d
RECORDS AND SETTLEMENT MADHIA
PROJESH 1224 12:21:32 IST
Rajasthan Digital Extract of Land Record - Map
CLR No.: 1130040100004008003448



पुस्तक: (आवक)

(हस्ताक्षर)

Madhya Pradesh Computrised Land Records



Khasra

Format 1 (See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajsva Sanhita (Bhu-Servekshan Tatha Bhu-Abhilekh Niyam 2020)

| Village: सतलापुर | | | Halka: सतलापुर | | | Tehsil: गौहरगंज | | | District: रायसेन | | Year: 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--|---|--------------------|---------------------|---|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---|-------------|---------------------|
| Unique ID of part of parcel of Land | Type of land parcel (Survey Number/Block Number) | Plot Number (In case of a Block) | 1. Area (in ha./sq. metre) | 2. Land use for which assessed | 3. Land Revenue /Lease Rent (in Rs.) | 1. Name of Bhumiswami, his mother's/ Father's/ Husband's name and address of residence | 2. Govt. and | Share of each Bhumiswami (in cae of joint holding) | 1. Name of Government lessee, his mother's/ father's/ husband's name and address of residence | 2. Period of lease | 3. Area under lease | Name of occupancy tenant (if any), his mother's/ fathers' husband's name and address of residence | Encumbrances and charges on land | 1. Mortgage | 2. Hypothecation | 3. Ongoing land acquisition process | Crop details | 1. Kharif | 2. Rabi | 3. Jayad | 4. Other | 1. Irrigation status of land | 2. Structures/trees on land | 3. Other remarks | 4. Orders for correction of entries during year in column no (1) to 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1252142932 | 273 (S) | | 8.8790 हेक्टेयर | पठार | 8.8790 रु.0.00 | (शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | पठार 8.8790 | म.प्र.शासन A.K.V.N. |

Note :-

1. This form is only for the information of the applicant.
2. It cannot be used as evidence in any court of law.
3. For digitally signed copy please apply through IT Center, LSK, MPOnline or online.
4. For correction/amendment in entries, contact the concerned district/tehsil office.

प्रिंट



**REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
Plot No. 28 C, Sector New Ind. Area, Mandideep Dist. Raizen
Ph. 07480-232803, E-mail :- romppcbmandideep@gmail.com**

WATER ANALYSIS REPORT

Report No. 796

Sample From :- MSW Site Nagar Palika Mandideep, Distt. Raizen.
Sample Details :- Tube Well Water. *Residential area, satlapur.*
Sample collected by :- R.S. Bharti (Jr. Scientist)
Date of Collection :- 15-12-2022
Date of Analysis :- 16-12-2022

| S. No. | Parameters | Unit | Result | Prescribed Limit (IS 10,500:1991) |
|--------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| 1. | Appearance | - | Clear | - |
| 2. | Colour | - | Colourless | - |
| 3. | Odour | - | Odourless | - |
| 4. | pH | pH Unit | 7.11 | 6.5 to 8.5 |
| 5. | Sp. Conductivity | μ Mhos/cm | 398 | - |
| 6. | Total Dissolved Solids | mg/l | 434 | 500 |
| 7. | Nitrate Nitrogen | mg/l | 5.2 | 45 |
| 8. | Chloride | mg/l | 119.24 | 250 |
| 9. | Sulphate (So ₄) | mg/l | 18.2 | 200 |
| 10. | Total Hardness | mg/l | 254 | 300 |

R. S. Bharti
Report prepared by
रवि शंकर भारती
कनिष्ठ वैज्ञानिक

R. S. Bharti
Lab Incharge
15/12/22



REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
 Plot No. 28, C Sector New Industrial Area, Mandideep Distt Raisen
 [Ph. 07480-232803] Mail:- romppcbmandideep@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. 171/RL/2022

Sample from:- MSW Site Nagar Palika Mandideep,
 Distt-Raisen (M.P.)


Analysed By:- Mr. R.S.Bharti

| S.No. | Description of sample | Date of collection | collection by | Date of receive | Date of analysis |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Ambient air Monitoring Near Material Recovery Center.(Lea ward Direction) | 15.12.2022 | Mr. R.S.Bharti (Jr. Scientist) | 15.12.2022 | 16.12.2022 |
| 2. | Ambient air Monitoring Center Point Of MSW Site.(Wind ward Direction) | | | | |

Ambient Air Monitoring

| S.No. | Parameters | Unit | Prescribed Limit | Result 1 | Result 2 |
|-------|--|-------------------|------------------|----------|----------|
| 1. | Respirable Suspended Particulate Matter [PM] ₁₀ | µg/m ³ | 100 | 85.22 | 91.97 |
| 2. | SO ₂ | µg/m ³ | 80 | 18.37 | 22.83 |
| 3. | NO _x | µg/m ³ | 80 | 25.86 | 31.93 |
| 4. | NH ₃ | µg/m ³ | 400 | 13.3 | 17.6 |

Remark :- The above results relate only to the conditions prevailing at the time of sampling.


Analyzed By
 शिव शंकर भारती
 कनिष्ठ वैज्ञानिक


 15/12/22
Lab Incharge